प्राथमिक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति का एक अध्ययन

ज्योति गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग
साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

सारांशिका

'आज भौतिक युग ने मानवीय गुणों से मानव के सम्बन्ध विच्छेद की शुरूआत कर दी है। इससे मानव का विकलांगों के प्रति व्यवहार प्रभावित होता है जबकि विकलांग बाल कभी योग्यता में किसी से कम नहीं होते है किसी भी बालक का विद्यालय वह प्रथम स्थान होता है जहाँ से बालक सामाजिकता का अध्याय सीखता है। शिक्षक द्वारा किया गया व्यवहार उसके सामने वृहत समाज की छवि प्रस्तुत करताहै। कोठारी आयोग (1964–66) के अनुसार ''देश के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में होता है। अक्षमता की गम्भीरता के आधार पर इन बालकों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्तियाँ कई प्रकार की हो सकतीहैं। अक्षमता युक्त बालक के सम्बन्ध में शिक्षक की प्रतिक्रियायें उनके धार्मिक विश्वास, सामाजिक, आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक पृष्ठ भूमि एवं सामुदायिक व पारिवारिक वातावरण के आधार पर होती हैं। कुछ शिक्षक अक्षम बालकों के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सुख प्राप्त करते है जिससे वे बड़े धैर्य, स्नेह, सद्भावना, प्रेम तथा त्याग के साथ इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते है और इनके साथ समायोजन का प्रयास करते है।''

मुख्य शब्दः विकलांगता, प्राथमिक शिक्षक, अभिवृत्ति, योग्यता, प्रभावशीलता

प्रस्तावनाः

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है, जो प्राचीन काल से निर्मल धारा की तरह समाज एवं व्यक्ति के विकास हेतु प्रवाहमान है। मानव जीवन के हर क्षेत्र में, चाहें वह व्यक्तित्व या सभ्यता के विकास का क्षेत्र हो अथवा संस्कृति के विकास का, शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गाँधीजी ने शिक्षा के अर्थ को इस प्रकार व्यक्त किया है–''शिक्षा का अर्थ, बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ।''

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार :–''शिक्षा व्यक्ति के अन्दर छिपी हुयी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रदर्शन है।''प्रत्येक बालक कुछ मूल–प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, जिनके द्वारा उस का प्रारम्भिक व्यवहार नियन्त्रित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता पर निर्भर करता है अर्थात् बालक जैसी शिक्षा पाता है, उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और उसी के अनुसार वह समाज मे व्यवहार करता है।

विकलांगता

सामान्य मानव का विकलांग मानव के प्रति व्यवहार मानव के स्वभाव की विवेकशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज समाज का दृष्टिकोण विकलांगता के प्रति उचित नहीं है परन्तु इस बात के अनेकानेक प्रमाण है कि विकलांगता अयोग्यता की निशानी नही है। आज अनेक क्षेत्रों एवं प्रतियोगिताओं में विकलांग व्यक्तियों ने जा प्रदर्शन कर दिखाया है वह सामान्य व्यक्तियों की योग्यताओं पर प्रश्न–चिन्ह लगाता है। यदि हम आँकड़ों को देखें तो आज कुल विश्व की जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत व्यक्ति या तो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी न किसी विकलांगता से ग्रस्त है। विकासशील एवं अविकसित देशों में विकलांगों की संख्या विकसित देशों की तुलना में अधिक है। इस का सामान्य कारण यह है कि कुछ विकलांगताएँ ऐसी होती हैं जिन्हें समय पर परीक्षण एवं उचित उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। परन्तु संसाधनों के अभाव से सामान्य विकलांगताएँ भी आगे चलकर विशाल रूप धारण कर लेती है।

विकलांगता के प्रति ध्यानाकर्षित करने के लिए 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष घोषित किया गया। सही मायनों में इसी घोषणा ने सामान्य लोगों का ध्यान विकलांगता के प्रति जागरूक किया। इसका उद्देश्य था सामान्य व्यक्तियों में विकलांगों के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति का विकास करना, विकलांगों को समाज में उचित स्थान प्रदान करना तथा सामाजिक क्रियाओं में उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करना। इस अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष ने हमें उन महाननायकों के बारे में भी अवगत कराया जो विकलांग तो थे परन्तु विश्व में उन्होंने अपना अलग स्थान प्राप्त किया। जैसे महान कवि जॉनमिल्टन अन्धे थे, महान योद्धा तैमूर चलने मे असमर्थ थे, सामान्य परिस्थितियों में समाज विकलांगों के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं रखता है। भारत में विकलांगों की आबादी कुल विश्व के विकलांगों का आठवॉ हिस्सा है जो कि संख्यात्मक रूप से लगभग 6 करोड़ है। भारत में विकलांगों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे है।

अभिवृत्ति

अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता होती है। अभिवृत्ति में व्यक्ति मे अनुकूलता, प्रतिकूलता की बिना पर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति अनुक्रिया करने की तत्परता पाई जाती है। अभिवृत्ति जब एक बार निर्मित हो जाती है, तो उसमे परिवर्तन लाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। क्योंकि अभिवृत्ति व्यक्ति की आवश्यकता, भाव तथा आत्म–संप्रत्यय से सम्बन्धित होती है। अभिवृत्ति में परिवर्तन का अर्थ व्यक्ति के भाव, आवश्यकता एवं आत्म–संप्रत्यय में परिवर्तन है। कोई भी अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, वातावरण में उपलब्ध अनुभवों के द्वारा अर्जित की जाती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

विकलांग बालकों के लिए प्रेरणा बहुत आवश्यक है। यह देखना चाहिए कि वह किसी कार्य को करते है तो उन्हें किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। विकलांग बालकों को समस्या किसी एक या अधिक क्षेत्रों में हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह प्राथमिक स्तर के शिक्षक होते है। यह जितना अधिक अक्षम बालकों को प्रति जागरूक होगें, अक्षम बालकों की शिक्षा में आ रही समस्याओं को उतना ही जल्दी दूर किया जा सकेगा।

भारत सरकार के प्रयासों से विकलांगों के पुनर्वास एवं पुनरूत्थान के लिए देश में कई संस्थायें स्थापित हुई है। इन संस्थाओं की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह है कि बालक की अन्तर्निहित शक्तियों का सुचारू रूप से सही दिशा में विकास हो सके। इस प्रकार की संस्थाओं का उद्देश्य विकलांगों के सामाजिक व्यवहार में गुणांत्मक सुधार लाना एवं यथा संभव उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति कें साथ राष्ट्र व समाज की उन्नति में सहायक हो सकें। इन संस्थाओं की सफलता का मापदण्ड इस बात पर निर्भर करता है कि जो व्यवहार और प्रवृत्ति अभी तक इन विकलांगों के प्रति रही है उस में बदलाव लाया जा सकें। इन्हें अयोग्यता का प्रतीक न मानकर बल्कि जमाने का एक आवश्यक किरदार माना जायें।

आज भौतिक युग ने मानवीय गुणों से मानव के सम्बन्ध विच्छेद की शुरूआत कर दी है। इससे मानव का विकलांगों के प्रति व्यवहार प्रभावित होता है जबकि विकलांग बाल कभी योग्यता में किसी से कम नहीं होते है किसी भी बालक का विद्यालय वह प्रथम स्थान होता है जहाँ से बालक सामाजिकता का अध्याय सीखता है। शिक्षक द्वारा किया गया व्यवहार उसके सामने वृहत समाज की छवि प्रस्तुत करताहै। कोठारी आयोग (1964–66) के अनुसार ''देश के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में होता है। अक्षमता की गम्भीरता के आधार पर इन बालकों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्तियाँ कई प्रकार की हो सकतीहैं। अक्षमता युक्त बालक के सम्बन्ध में शिक्षक की प्रतिक्रियायें उनके धार्मिक विश्वास, सामाजिक, आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक पृष्ठ भूमि एवं सामुदायिक व पारिवारिक वातावरण के आधार पर होती हैं। कुछ शिक्षक अक्षम बालकों के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सुख प्राप्त करते है जिससे वे बड़े धैर्य, स्नेह, सद्भावना, प्रेम तथा त्याग के साथ इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते है और इनके साथ समायोजन का प्रयास करते है।''

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार में माता–पिता के साथ–साथ शिक्षक भी होते है। जिन का व्यवहार विकलांग बालकों के प्रति नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनो प्रकार का हो सकता है। जहाँ बालकों के प्रति माता–पिता व शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार एवं इनका अनुकूल अभिवृत्ति विकलांग बालक के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है वही नकारात्मक व्यवहार उनके उत्थान के मार्ग को अवरूद्ध कर सकता है।

यह एक खेद का विषय ह कि इस क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है वह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है विकलांग बालकों के समायोजन एवं उनके बुद्धिलब्धि इत्यादि के क्षेत्रों में तो कुछ शोध हुए है अर्थात् उनके वैयक्तिक गुणों की जॉच पर तो कार्य हुआ है परन्तु उनके प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षक, माता–पिता का व्यवहार, पड़ोसी, मित्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए शोध क्षेत्र विस्तृत आधार रखते हुए भी अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है। अक्षम बालकों के सामने उनकी विकलांगता से अधिक समस्या समाज, माता–पिता तथा परिवार के द्वारा किये गये व्यवहार के कारण आती है। उसकी समस्या शारीरिक अक्षमता की वजह से कम, समाज की इस मनोवृत्ति की वजह से अधिक है। आम व्यक्तियों की नजरों में उसका स्थान एक दयनीय पात्र अथवा सहायता की आवश्यकता के लिए उपस्थित मानव के रूप में होता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग विद्यार्थियों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. पुरूष एवं महिला प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग विद्यार्थियों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनायें

1. ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग विद्यार्थियों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. पुरूष एवं महिला प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग विद्यार्थियों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन की जनसंख्या

एक विशिष्ट समूह की समस्त ईकाइयों को मिलाकर जनसंख्या कहते है। प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है परन्तु समय सीमा के कारण प्रस्तुत अध्ययन को उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण तथा शहरी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों–शिक्षिकाओं तक सीमित किया गया है। अतः प्राप्त निष्कर्ष इसी जनसंख्यो के लिए ही मान्य होगें।

न्यादर्श एवम् न्यादर्श चयन

प्रस्तुत अध्ययन में शोध कार्य में न्यादर्श के चयन हेतु सम्भावित न्यादर्श और यादृच्छिक या देवीय प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग किया ग या है।

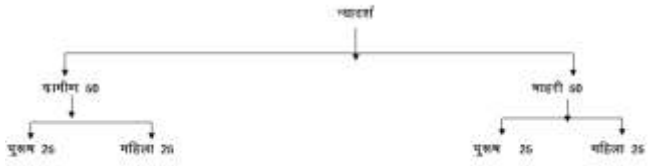

सम्भावित न्यादर्शः– ''जब जनसंख्या की किसी ईकाई को प्रतिदर्श में सम्मलित करने के लिए उस का चयन सहयोग पर निर्भर करे तो प्रतिदर्श चयन को इस विधि कों ''सम्भाव्यता प्रतिदर्शन'' कहते है।''

देवीय सम्भवित न्यादर्शः– यादृच्छिक प्रतिदर्शन वह विधि है जिसके अन्तर्गत समय की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श (Smple) के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते है।

न्यादर्श का विवरण

इस अध्ययन में शोधकर्ता ने साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रणाली द्वारा 28 प्राथमि कस्तर के विद्यालयों का चयन किया। इन्हीं 28 विद्यालयों से 100 शिक्षक–शिक्षिकाओं का चयन किया, जो निम्न प्रकार हैः–

50 शहरी शिक्षक ⟶ 25 पुरूष + 25 महिला
50 ग्रामीण शिक्षक ⟶ 25 पुरूष + 25 महिला

अध्ययन हेतु प्रयुक्त उपकरण

शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध उपकरण की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं है। अतः शोधार्थी द्वारा अपने शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में अध्ययन की आवश्यकता को समझते हुए प्रश्नावली निर्मित करने का निर्णय लिया गया।

शहरी प्राथमिक शिक्षकों एवं ग्रामीण प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–मान का विवरण

तालिका संख्या 1

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानकविचलन (S.D.)	टी मान
शहरी शिक्षक	50	131.02	16.87	
ग्रामीण शिक्षक	50	128.00	12.17	1.026[NS]

तालिका संख्या 1 पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि शहरी शिक्षक की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 131.02 तथा मानक विचलन 16.87 और ग्रामीण शिक्षक की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 128.00 तथा मानक विचलन 12.17 है। शहरी शिक्षक का मध्यमान तथा मानक विचलन ग्रामीण शिक्षक के मध्यमान व मानक विचलन से अधिक है। टी–परीक्षण का प्रयोग करने से प्राप्त टी–मान 1.026 आया, जो कि सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 के मान क्रमशः 1.98 तथा 2.63 से कम है, जो सार्थक अन्तर नहीं दर्शाता है।अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है कि ग्रामीण शिक्षक एवं शहरी शिक्षक के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

पुरूष प्राथमिक शिक्षकों एवं महिला प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–मान का विवरण

तालिका संख्या 2

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी मान
पुरूष शिक्षक	50	130.38	17.11	
महिला शिक्षक	50	128.84	11.97	0.589[NS]

तालिका संख्या 2 पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पुरूष शिक्षक की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 130.38 तथा मानक विचलन 17.11 और महिला शिक्षक की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के विद्यालयो में विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 128.84 तथा मानक विचलन 11.97 है। पुरूष शिक्षक का मध्यमान तथा मानक विचलन महिला शिक्षक के मध्यमान व मानक विचलन से अधिक है। टी–परीक्षण का प्रयोग करने से प्राप्त टी–मान 0.589 आया, जो कि सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 के मान क्रमशः 1.98 तथा 2.63 से कम है। जो सार्थक अन्तर नहीं दर्शाता है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैकि पुरूष शिक्षक एवं महिला शिक्षक के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

प्रथम परिकल्पना में शहरी प्राथमिक शिक्षकों एवं ग्रामीण प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है। परिकल्पना के परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया जा सकता है कि शहरी प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण प्राथमिक शिक्षकों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है।

द्वितीय परिकल्पना में पुरूष प्राथमिक शिक्षकों एवं महिला प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गयाहै।

निष्कर्ष– परिकल्पना के परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्श प्रतिपादित किया जा सकता है कि पुरूष प्राथमिक शिक्षकों की विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति महिला प्राथमिक शिक्षकों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है। उपरोक्त समस्त निष्कर्षो का एक दृष्टि से समग्र अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों एव शिक्षिकाओं की विकलांग बच्चों के प्रति अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है। अतः विकलांग बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार की शिक्षा व चिकित्सा देने की आवश्यकता है जिससे कि वे अपनी विकलांगता के क्षेत्र व स्तर के अनुरूप अपनी योग्यताओं का अधिकतम विकास कर सकें तथा समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपनी योग्यतानुसार योगदान दे सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- जार्ज, (1966): डवलपमेंट ऑफ टीचर्स इन ऑडियो विजुअल एड्सस्टडी ऑफ चेन्ज स्टूडेण्ट। टीचर्स–थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च एजुकेशन, बुच, एम.बी.।
- मोहन्ती एवं गिरि, (1976): स्टडी ऑफ एजूकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम टेलीकास्ट टयूरिंग इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कोर्स, डाइरेक्ट्रेट, हायर एजुकेशन, उड़ीसा–पी–एच.डी. एजूकेशन, उड़ीसा।
- गेटमन लेनि एवं प्रेसले, (1977):इफेक्टिवनेस ऑफ दि टिचिंग एड्स थ्रू एसोसिएटिड इन्सट्रक्सन ऑफ मॉडल्स। एम.फिल., एजूकेशन, अविनाशिलिंगमम इंस्टीटयूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर फॉर वूमैन।
- चक्रवती, (1982):सेटेलाइट इन्स्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट्स–ए स्टडी ऑफ छत्तीसगढ़, एन.आई.आर.डी.।
- गोलानी, (1982):दी यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन सेकेण्ड्री स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट थाणे पी–एच.डी. एजुकेशन, पूना यूनिवर्सिटी।
- रविशंकर, (1982): ईवॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रो जेम्स ए. लूगिहिन एण्ड रेना बी. लेविस (1994) असेसिंग स्पेशल स्टूडेंटः पियर्सन
- हायर एज्यूकेशन retrievdfromhttp:// www. delhi bookstore. com / product_info.php?products_id=7886